अध्याय XII : गृह मंत्रालय

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) सीमांत मुख्यालय, पटना

12.1 छ: साल से निधियों की अवरूद्धता एवं ब्याज की हानि

मंत्रालय के भूमि अधिग्रहण का आदेश सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) पटना के छ: साल से ₹37.28 करोड़ की अवरूद्धता एवं ₹17.75 करोड़ के ब्याज के रूप में असफलता के रूप में परिणामित हुआ।

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) पटना, के प्रस्ताव (अप्रैल 2007) के आधार पर, गृह मंत्रालय ने रिजर्व बटालियन मुख्यालय और सशस्त्र सीमा बल के सीमांत मुख्यालय स्थापित करने हेतु बिहार सरकार से ₹37.28 करोड़ से 73 एकड़ भूमि की खरीद (मार्च-अगस्त 2010) का अनुमोदन किया। जब एसएसबी ने ₹37.28 करोड़ (अगस्त 2010) में जमा करवाए तो बिहार सरकार ने सूचित किया कि 2007 में निर्धारित कीमत को संशोधित (जिस पर एसएसबी ने मत्रालय से अनुमोदन लिया था) किया जा चुका है और एसएसबी से शेष ₹69.13 करोड़ जमा करने का निवेदन है (संशोधित कीमत के आधार पर) तथापि, मंत्रालय संशोधित प्रस्ताव हेतु इन्कार कर चुका है और एसएसबी को एक नये वैकल्पिक स्थान/कम भूमि हेतु प्रस्ताव भेजने की सलाह दी (जुलाई 2012)। अभी तक (दिसम्बर 2016), एसएसबी ने मंत्रालय का नया प्रस्ताव नहीं भेजा है तथा ₹37.28 करोड़ की जमा पूंजी राज्य सरकार के पास पड़ी है।

मंत्रालय ने लोक लेखा समिति (पीएसी)[1] को अपनी कार्रवाई टिप्पणी को भूमि अधिग्रहण की धीमी प्रगति को अन्य बातों के साथ जोड़ते हुए वादा किया (जून 2016) कि प्रक्रिया को कम-से-कम समय में पूरा करने के लिए भविष्य में सभी प्रयास किए जाएंगे। यह कहने के बाद भी इस विशेष प्रकरण में, एसएसबी ने राज्य सरकार से वैकल्पिक भूमि खरीदने हेतु कोई प्रयास नहीं किया और ₹37.28 करोड़ अवरूद्ध पड़े रहे।

[1] 2015 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 35 'केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में निर्माण गतिवधियों की लेखापरीक्षा' (पैरा सं. 3.1 - भूमि अधिग्रहण में विचलन)

इस प्रकार, एसएसबी पटना की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप छः वर्ष से अधिक के लिए ₹37.28 करोड़ अवरोधन हुआ और फलस्वरूप ₹17.75[2] करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

एसएसबी पटना तथ्यों की पुष्टि कर चुका है। अगस्त 2016 में मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

समन्वय पुलिस वायरलेस निदेशालय

12.2 2011 में पूरे हुए भवनों का कब्जा स्थानांतरित करवाने में सीपीडब्लूडी और डीसीपीडब्लू की विफलता और व्यय प्रतिपादन पर निष्फल खर्च।

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, कोहिमा, के लिए निर्मित कार्यालय सह आवासीय भवन-समूह में पानी पूर्ति की संभाव्यता, आवासों का अनाधिकृत व्यवसाय रोक और इलेक्ट्रिकल फिटिंग की चोरी सुनिश्चित करने में सीपीडब्लूडी असफल रहा। परिणामस्वरूप, जुलाई 2011 में पूर्ण किए गए परिसर सौंपे नहीं गए थे, जिसके कारण ₹2.98 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

गृह मंत्रालय ने प्रशासनिक अनुमोदन (नवम्बर 2005) प्रदान किया और 1998 में नागालैण्ड सरकार से पट्टे पर ली गई भूमि पर कोहिमा में समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार (डीसीपीडब्ल्यू) के लिए एक अन्तर्राज्यीय पुलिस बेतार स्टेशन कार्यालय सह आवासी भवन समूह निर्मित करने हेतु खर्च को भी अनुमोदित किया। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्लूडी) ने जुलाई 2011 में निर्माण कार्य पूरा किया। तथापि, डीसीपीडब्लू ने कब्जा लेने से मना कर दिया क्योंकि सीपीडब्लूडी ने पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की थी, जबकि अनुमानों में प्रावधान किया गया था।

सीपीडब्लूडी की नियमावली के पैरा 2.7 की शर्तों के अनुसार, सीपीडब्लूडी को निर्माण की पूर्व स्थिति में ही जलापूर्ति की संभाव्यता को सुनिश्चित करना चाहिए था। तथापि, यह पाया गया, कि सीपीडब्लूडी द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण में बताया गया कि 2008 तक कुछ मीटर की गहराई तक वहां भूमिगत जल

[2] 2011-12 और नवम्बर 2016 के बीच 10.19 प्रतिशत से लेकर 7.61 प्रतिशत तक सरकारी उधार लागत पर अनुमानित।

नहीं था और इसीलिए, सीपीडब्लूडी ने बोर-वेल के प्रस्ताव को छोड़ दिया। नागालैण्ड लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) ने सूचित किया कि पाइप को पानी की सुविधा नहीं हो सकती और भुगतान के आधार पर टैंकर द्वारा पानी की पूर्ति पर सहमति जताई (मई 2011)। इस प्रकार डीसीपीडब्लयू समय पर कार्य करने में असफल रहा और मार्च 2014 में इन आवासों की जांच हेतु एक दल भेजा गया, जब यह पाया गया कि कुछ कार्य अधूरे थे। बाद में, जब डीसीपीडब्लू के एक दल ने जनवरी 2015 में दौरा किया ताकि आवासों का अधिग्रहण प्रक्रिया हो सके, यह पाया गया कि बिजली की फिटिंग नहीं हुई थी या क्षतिग्रस्त थी और कुछ क्वार्टरों का अनाधिकृत कब्जा किया गया था। डीसीपीडब्लू के एक दल के जून 2016 में किए गए दौरे में पाया गया कि अनाधिकृत निवासी 200 केवी ट्रांसफार्मर से बिजली पा रहे थे जिसके लिए मार्च 2015 से डीसीपीडब्लू बिजली विभाग को उनकी बिजली प्रभारों का भुगतान कर रहा था।

इस प्रकार निर्माण की पूर्व अवस्था में पेयजल की पूर्ति की संभाव्यता और बाद में आवासों में चोरी और अनाधिकृत कब्जे की सुरक्षा की सुनिश्चितता में सीपीडब्लू की असफलता से जुलाई 2011 मे निर्मित आवासों के आबंटन में विलम्ब हुआ और परिणामस्वरूप निर्माण कार्य पर ₹2.98 करोड़ और जुलाई 2016 तक बिजली प्रभार पर ₹6.70 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

डीसीपीडब्लू ने बताया (अगस्त 2016) कि स्टाफ क्वार्टरों को अभी तक अप्राधिकृत निवासियों द्वारा अधिकृत किया हुआ था तथा महानिदेशक (सीपीडब्लूडी) तथा महानिदेशक पुलिस, नागालैण्ड से भी उपचारी कार्रवाई हेतु सम्पर्क किया गया था। मंत्रालय ने यही उत्तर डीसीपीडब्लू को पृष्ठांकित किया था (नवम्बर 2016)।

तथ्य यह रहा कि मंत्रालय तथा डीसीपीडब्लू मामले का पर्याप्त निरीक्षण करने में विफल रहे जिसके कारण परिसरों का कब्जा लेने में असामान्य बिलम्ब हुआ।

मामला शहरी विकास मंत्रालय को जुलाई 2016 में सूचित भी किया गया था, उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

12.3 सीवरेज प्रभारों का अपरिहार्य भुगतान

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार द्वारा 2007-08 से 2015-16 के दौरान ₹1.48 करोड़ के परिहार्य सीवरेज प्रभारों का भुगतान किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा मुद्दा उठाए जाने के पश्चात् दिल्ली जल बोर्ड ने संस्थान के बिलों से सीवरेज प्रभारों को वसूल करना बन्द कर दिया।

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के दिसम्बर 2005 के आदेशों की शर्तों मे, सीवरेज रख-रखाव प्रभार[3] उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जहां सीवरेज प्रणाली कार्य नहीं कर रही है या जहां सीवर लाइन पहुंचाई ही नहीं गई है।

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार (डीसीपीडब्लू) गृह मंत्रालय के संरक्षण में एक संस्थान, केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान (सीपीआरटीआई) का संचालन रिज रोड, नई दिल्ली से हो रहा था। लेखापरीक्षा ने पाया कि सीपीआरटीआई के अपशिष्ट अपवहन हेतु दिल्ली जल बोर्ड की कोई अलग सीवरेज लाइन नहीं थी। सीपीआरटीआई अपने अपशिष्ट हेतु एक सैपटिक टैंक का प्रयोग कर रहा था, जिसकी समय-समय पर सीपीडब्लूडी अपने द्वारा वार्षिक मरम्मत एवं रख-रखाव के भाग के रूप में साफ किया जाता था। सीपीडब्लूडी मैनहोल, गाद/सीवरेज को हटाने, और सैपटिक टैंक की सफाई और ब्लॉक सीवर लाईन की अंशत: या पूर्णत: सफाई के लिए जिम्मेदार था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीसीपीडब्लयू इस तथ्य के बावजूद कि वह डीजेबी की सीवरेज लाइन इस्तेमाल नहीं कर रहा है, डीजेबी को सीवरेज प्रभार का भुगतान कर रहा था और इसका वैकल्पिक सीवरेज अपशिष्ट अपवहन प्रणाली भी थी। वर्ष 2007-08 से 2015-16 के दौरान डीसीपीडब्लयू ने ₹1.48 करोड़ के सीवरेज प्रभारों का भुगतान किया जो पूर्णतया परिहार्य था।

इसे इंगित किए जाने पर, डीसीपीडब्लयू ने बताया (अप्रैल 2016) कि यह मामला अप्रैल 2014 और मई 2014[4] में दिल्ली जल बोर्ड को दिया गया और

---

[3] सीवरेज रख-रखाव प्रभार, सीवरेज प्रणाली के अनुरक्षण हेतु वसूल किया जाता है और पानी के आयतन उपभोग के अनुसार वसूल किया जाता है। वसूली की दर आयतन प्रभार का 50 प्रतिशत थी तथा बाद में दिल्ली जल बोर्ड की दिसम्बर 2009 की अधिसूचना के द्वारा 60 प्रतिशत तक संशोधित की गई

उत्तर में दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया कि "जल उपभोग पर लगे फुटकर खर्चों के प्रावधानों के अनुसार, सीवर प्रभार उनमें से एक है और इसे आवधिक जल प्रभार का 60% परिकलित किया गया था। डीजेबी का उत्तर नि:संदेह इसके द्वारा 2005 में लिए गए निर्णय को देखते हुए अनुचित था। लेखापरीक्षा ने स्वत: ही सुनिश्चित किया कि दिल्ली में पूल प्रहलादपुर, खजूर रोड, बुद्ध बिहार (बदरपुर), ज्वाला नगर, शाहदरा इत्यादि में कुछ क्षेत्रों जहां सीवरेज प्रणाली नहीं थी, डीजेबी द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों में सीवरेज प्रभार शामिल नहीं थे।

लेखापरीक्षा ने साथ-साथ यह मामला डीजेबी के साथ सीपीआरटीआई पर सीवर लाइन न होने के बावजूद भी सीवरेज प्रभार लगाने के फैसले पर उठाया। परिणामस्वरूप, डीजेबी ने दिसंबर 2016 में सीपीआरटीआई के बिलों से सीवर प्रभार की उगाही बंद कर दी। यह भी दर्शाता है कि यदि डीसीपीडब्ल्यू इस मामले को जितनी जल्दी 2007-08 में डीजीबे के साथ उठाता, तो सीवरेज प्रभार की अनुचित उगाही से बचा जा सकता था।

डीसीपीडब्ल्यू को डीजीबे के साथ यह मामले जारी रखना चाहिए और सीवरेज प्रभार जोकि पहले ब्याज सहित भुगतान कर दिए गए हैं, को वापस प्राप्त करना चाहिए।

मामला मंत्रालय को सितंबर 2016 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)

12.4 बिजली पर अधिक तथा दाण्डिक प्रभारों का परिहार्य भुगतान

सीआईएसएफ ने, संविदा भार से अपेक्षाकृत नेमी रूप से अधिक पावर लेकर छत्तीसगढ़ बिजली प्राधिकरणों को ₹64.15 लाख के अधिक/दाण्डिक प्रभारों का अनावश्यक भुगतान किया।

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) बटालियन का विद्युत फैक्टर के रख-रखाव और बिजली के भार की अनुबंध मांग हेतु शंट कैपिटर्स लगाने की विफलता के

[4] लेखापरीक्षा ने पहले भी 2014 में यह मुद्दा उठाया था।

परिणामस्वरूप परिहार्य ₹79.75 करोड़ को परिहार्य भुगतान में परिणामित हुआ।

क. छत्तीसगढ़ राज्य बिजली बोर्ड (सीएईबी)[5] के साथ हुए समझौते (नवीनतम नवंबर 2002) की शर्तों के अनुसार, तीसरी आरक्षित बटालियन, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) भिलाई, छत्तीसगढ़ को 150 केवीए की बिजली भार का अनुमोदन दिया गया। कई वर्षों से, सीआईएसएफ नियमित रूप से इस अनुबंध मांग से अधिक बिजली ले रहा है और अतिरिक्त/दंड प्रभार का भुगतान कर रहा है, परन्तु अनुबंध भार को बढ़ाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अन्ततः, सीआईएसएफ ने (जून 2012) सीएसपीडीसीएल से 300 केवीए तक भार बढ़ाने का निवेदन किया और ₹4.42 लाख की प्रतिदेय सुरक्षा जमा का भुगतान करने को कहा गया (जून 2012) जिसे केन्द्रीय और राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के सभी विभागों में 14 सितम्बर 2005 से अनिवार्य बना दिया गया। अब यह अनिवार्य सुरक्षा जमा भुगतान करने की अपेक्षा, इस आधार पर कि इसका भुगतान पूर्व के समझौते के अनुसार नहीं किया गया है, सीआईएसएफ ने पहले ही छूट मांग ली और जब मनाही हुई तो तीन किश्तों में भुगतान करने की अनुमति मांगी जोकि फरवरी 2015 में अनुमोदित हुई। फरवरी 2015 में बिजली का भार 300 केवीए तक बढ़ाया गया और तब तक सीआईएसएफ ने पूर्ववर्ती 12 महीने में तुरंत ₹22.43 लाख अतिरिक्त/दंड प्रभार के रूप में भुगतान किए।

इस प्रकार, सीएसपीडीसीएल के साथ हुए अनावश्यक पत्राचार के परिणामस्वरूप ₹4.42 लाख की आवश्यक प्रतिदेय जमा प्राप्त करने की मनाही कर दी गई और तब इसका किश्तों में भुगतान हुआ, सीआईएसएफ ने केवल जून 2012 और फरवरी 2015 तक ₹47.97 लाख के परिहार्य व्यय का वहन किया। कुल मिलाकर अप्रैल 2009 से फरवरी 2015 तक के बीच सीआईएसएफ ने अनावश्यक ₹64.15 लाख अतिरिक्त विद्युत खर्च के रूप में अदा किए। सीआईएसएफ के महानिदेशक के लेखापरीक्षा को दिए गए उत्तर में

[5] छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण (सीएसपीडीसीएल) सहित विभिन्न हस्तियों में 2009 में पुनर्गठित।

(अप्रैल 2016) तथ्य स्पष्ट नहीं हुए। गृह मंत्रालय का उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित है।

ख. जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) की दर सूची में, उपभोक्ताओ की उनके मासिक संविदा मांग का 90 प्रतिशत से अधिक तथा 105 प्रतिशत से अधिक नहीं के, औसतन विद्युत फैक्टर का अनुरक्षण करना आवश्यक है। इन श्रेणियों के बीच उपभोग का अनुरक्षण करने में विफलता के कारण पावर फैक्टर तथा विशिष्ट दरों पर मांग अधिभार का भुगतान हुआ। इस प्रकार के अधिभार के बचने के लिए उपभोक्ताओं को शंट कैपिस्टर लगाना अपेक्षित है।

दिसम्बर 2012 से मार्च 2016 की अवधि के लिए बीएसएफ बटालियन एक्स के विद्युत बिलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि बटालियन विशिष्ट स्तर पर औसत पावर फैक्टर का अनुरक्षण करने में विफलता के लिए दिसम्बर 2012 से पॉवर फैक्टर तथा मांग अधिभार का नेमी रूप से भुगतान कर रही थी जिसके परिणामस्वरूप 2012-13 से 2015-16 की अवधि के लिए ₹72.04 लाख का परिहार्य भुगतान हुआ। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि बटालियन ने 2015-16 के दौरान चार महीनों में 738 केवीए के संस्वीकृत भार बढ़ा दिया था जिसके परिणामस्वरूप ₹7.71 लाख के मांग प्रभारों का परिहार्य भुगतान हुआ।

शंट कैपिस्टरों को लगाने में विफलता के संबंध में बटालियन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि जेवीवीएनएल ने बीएसएफ पोस्ट पर एक समर्पित लाइन के द्वारा विद्युत की आपूर्ति की तथा लाइन के अनुरक्षण तथा मरम्मत करने जोधपुर डिस्कॉम की जिम्मेदारी थी। उत्तर सुसंगत नहीं है क्योंकि शंट कैपिस्टर लगाना उपभोक्ता की जिम्मेदारी है। मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2016) कि प्रत्येक बीएफएल पोल पर नए मीटर तथा 33 एमएफडी कैपिस्टर लगाए जाने के बावजूद पॉवर फैक्टर 90 प्रतिशत नीचे चला गया था। यह उत्तर भी सुसंगत नही है क्योंकि यह शंट कैपिस्टर हैं जो निर्धारित सीमा के भीतर औसतन पॉवर फैक्टर के रख-रखाव को सरल बनाते हैं एवं न कि 33 एमएफडी कैपिस्टर को।